वर्ष 2015 से 2020

- वर्ष 2016 में बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन/उन स्थलों पर अन्य उद्योगों की स्थापना के क्रम में लौरिया एवं सुगौली में नई मिलें स्थापित की गयी। बिहटा में ड्राई पोर्ट की स्थापना एवं उसका परिचालन प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2016-17 में राजपत्रित एवं अराजपत्रित सेवाओं के लिए बिहार ईख (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली का गठन किया गया।
- गन्ना मूल्य भुगतान में सहयोग हेतु पेराई सत्र 2015-16 के लिए ईख अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत ईख क्रय-कर (1.75 रूपया प्रति क्विंटल की दर से) के भुगतान से चीनी मिलों को विमुक्ति दी गयी।
- राज्य में भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम को 1.80 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2017 में राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर अनुदान का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2017 में राज्य के लिये गन्ना के चयनित प्रभेदों के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा अनुदानित दर पर किसानों के बीच वितरण किये जाने का प्रावधान किया गया।
- गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बीमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के छिड़काव हेतु उसके मूल्य के 50 प्रतिशत अधिकतम 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया।
- गन्ना किसानों को नयी तकनीक से खेती करने हेतु कृषक प्रशिक्षण के आयोजन का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार-प्रसार की योजना पर 135 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया गया।
- प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रमाणित बीज का उत्पादन किये हो) को 30 रुपये प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- राज्य स्तरीय सेमिनार, किसानों एवं पदाधिकारियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण (राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय) पर 23 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2019-20 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर 28.10 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया।
- चीनी मिल द्वारा राज्य के बाहर के शोध संस्थान से बिहार राज्य के लिए अनुशंसित चयनित गन्ना के उत्तम प्रभेदों के प्रत्यक्षण हेतु राशि का प्रावधान किया गया।

वर्ष 2020 से अबतक

- राज्य से बाहर के गन्ना शोध संस्थानों से अन्य प्रदेशों के लिए विकसित गन्ना प्रभेदों का इस राज्य के लिए उपयुक्तता हेतु क्षेत्रीय परीक्षण/प्रत्यक्षण के लिए राशि का प्रावधान किया गया।
- गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान के भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया।
- जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बायो कम्पोस्ट) के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपये प्रति क्वींटल (25 क्वींटल प्रति हेक्टेयर) यानि 3750 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया।
- बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण 1.50 रुपये प्रति पौध की दर से अधिकतम 10,000 पौध प्रति एकड़ यानि 15,000 रुपये प्रति प्रत्यक्षण के दर से राशि का प्रावधान किया गया। इस योजना का लाभ चीनी मिलों को दिये जाने की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2021 में गैर चीनी मिल क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए क्रशर कराह के क्रय पर वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 45,000 रुपये प्रति इकाई के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया।
- 40 गन्ना कृषकों के लिए 10,000 रुपये प्रति प्रशिक्षण की दर से कुल 300 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2022-23 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर 28.78 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया।
- शरदकालीन रोप वर्ष 2022-23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण पर अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपये प्रति एकड़ के दर से राशि का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2022 में विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया।
- प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट-सह-प्रशिक्षण हेतु 20 किसानों के दल के 7 से 10 दिवस के लिए 1500 रुपये प्रति किसान प्रति दिन की दर से कुल 18 लाख रुपये राशि का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत गन्ना के 10 प्रभेदों पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनांतर्गत कार्बोनिक खाद (बायो कम्पोस्ट) के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल (25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) यानि 3750 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनांतर्गत कीटनाशक/फफूंदीनाशक दवा के छिड़काव हेतु उसके क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया।

Nov. 2024

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

बिहार सरकार

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

गन्ना उद्योग विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

गन्ना उद्योग

वर्ष 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार गठन के पश्चात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गन्ना आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ-साथ किसानों को नये वैज्ञानिक तरीके से गन्ना की खेती के लिये प्रोत्साहित किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत गन्ने की कीमत में वृद्धि और समय पर भुगतान के लिए सार्थक उपाय किया गया है। बिहार राज्य चीनी निगम की बन्द इकाईयों को पुनर्जीवित करने हेतु निजी क्षेत्रों के निवेशकों को लम्बी अवधि की लीज पर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

राज्य में नई चीनी मिलें एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना तथा कार्यरत चीनी मिलों के क्षमता विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन के लिए गन्ना उद्योग प्रोत्साहन पैकेज, 2006 की घोषणा की गयी। गन्ने की फसल बीमा योजनान्तर्गत बाढ़ के कारण गन्ने की फसल को हुई क्षति के लिए प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दिलवाने की व्यवस्था की गयी। गन्ना कृषकों को गन्ना अपूर्ति एवं गन्ना मूल्य भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी के उद्देश्य से बिहार गन्ना प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी।

सरकार ने चीनी एवं अनुषंगी उत्पादों में बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास को पुनः स्थापित करने का बीड़ा उठाया है।

वर्ष 2005 से 2010

- वर्ष 2006 में गन्ना एवं चीनी मिल के विकास हेतु अलग से गन्ना विभाग बनाया गया।
- वर्ष 2006 में चीनी एवं गन्ना विकास हेतु प्रोत्साहन नीति बनाई गयी।
- वर्ष 2006 में राज्य में मरूकिया (मधुबनी), केवलपुरा (मुजफ्फरपुर), कोटवा (पूर्वी चम्पारण), रसूलपुर (सारण) उदाकिशनगंज (मधेपुरा) बहादुरपुर (बेगूसराय), चोरमा-पकड़ीद्याल (पूर्वी चम्पारण), अस्थावाँ (नालंदा), कुमारबाग (पश्चिम चम्पारण) समेत 13 नये चीनी मिल की स्थापना की स्वीकृति दी गयी। इनमें चीनी उत्पादन के साथ-साथ 312 मेगावाट बिजली के उत्पादन की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2006 में राज्य में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए चीनी उद्योग प्रोत्साहन पैकेज में संशोधन किया गया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 5,000 टी0सी0डी0 (tonnes crushed per day) पेराई क्षमता के विरूद्ध 2,500 टी0सी0डी0 पेराई क्षमता के नयी चीनी मिल खोलने हेतु पैकेज दिया गया।
- राज्य के आठ पुरानी चीनी मिलों के विस्तार की स्वीकृति दी गयी, जिसमें हरी नगर एवं नरकटियागंज (पश्चिमी चंपारण), रीगा (सीतामढ़ी), सिधवलिया (गोपालगंज), सासामुसा (गोपालगंज), हसनपुर (समस्तीपुर), मझौलिया (पश्चिम चम्पारण) और गोपालगंज के चीनी मिल को सम्मिलित किया गया।
- किसानों को नये वैज्ञानिक तरीके से गन्ना की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसानों को गन्ने की कीमत में वृद्धि और समय पर भुगतान के लिए सार्थक उपाय किया गया। किसानों को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में कार्यरत हरिनगर चीनी मिल द्वारा अपनी पेराई क्षमता बढ़ाकर 10,000 टी0सी0डी0 तथा नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा पेराई क्षमता बढ़ाकर 7,500 टी0सी0डी0 किया गया।
- वर्ष-2008 हरिनगर मिल में एक नई डिस्टीलरी स्थापित की गयी। रीगा एवं नरकटियागंज चीनी मिलों की डिस्टिलरियों में ईथेनॉल उत्पादन प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष-2009 में नरकटियागंज एवं सिधवलिया चीनी मिलों के साथ सह-विद्युत उत्पादन (को-जेन0) इकाई स्थापित की गयी।
- रैयाम एवं सकरी की चीनी मिलों को मेसर्स तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि. को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा अधिक चीनी एवं ऊपज देने वाले गन्ने के प्रभेद बी.ओ. 141 एवं बी.ओ.145 विकसित किया गया।
- गन्ने की फसल फसल बीमा योजनान्तर्गत शामिल बाढ़ के कारण गन्ने की फसल को हुई क्षति के लिए Calamity Relief Fund के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दिलवाने की व्यवस्था की गयी।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2012 में गन्ने के आधुनिक तकनीकी से कृषकों को अवगत कराने हेतु विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं होर्डिंग/फ्लैक्सी आदि का निर्माण किया गया।
- किसानों को बीज क्रय हेतु अनुदान देने का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2012 में राज्य के बाहर स्थित गन्ना अनुसंधान संस्थानों से गन्ना के उत्तम प्रभेदों को चिह्नित कर राज्य में इन प्रभेदों के बीजों को गुणन हेतु योजना का प्रावधान किया गया।
- गन्ना सर्वेक्षण नीति, 2013 के तहत गन्ना कृषकों के गन्ने की चीनी मिलों में आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाने का कारगर उपाय किया गया।
- कृषि रोड मैप अंतर्गत वर्ष 2013-14 में गन्ना उद्योग विभाग द्वारा गन्ना किसानों एवं राज्य में कार्यरत चीनी मिलों के हित में गन्ना के आच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता एवं चीनी के रिकवरी में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुल 44.31 करोड रूपये की लागत पर "मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना" कार्यान्वित की गयी।
- वर्ष 2013-14 से बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक चीनी मिलों के वेबसाइट के माध्यम से किसानों को उनके ईख के आच्छादन के सर्वेक्षण सम्पन्न होने की तिथि, सर्वेक्षित ईख का रकवा, ईखापूर्ति हेतु पर्चियों के निर्गमन की जानकारी, बैंकों के माध्यम से ईख मूल्य भुगतान सम्पन्न होने एवं ईख विकास योजनाओं की जानकारी समय-समय पर उनके मोबाईल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य में कृषि रोड मैप के अंतर्गत गन्ना किसानों को ग्रीष्मकालीन माहों में गन्ना फसल की सिंचाई हेतु डीजल पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2013 में ईख विकास की योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं आधुनिक तकनीकी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 10,000 कृषकों को राज्य के अन्दर प्रशिक्षण दिया गया।
- लौरिया एवं सुगौली में लगभग 649.72 करोड़ रूपये की लागत से 2 ग्रीन फील्ड सुगर कॉम्प्लेक्स स्थापित की गयी।
- वर्ष 2014 में चीनी मिलों द्वारा घटतौली पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य की सभी चीनी मिलों को उनके द्वारा संधारित तौल-सेतुओं को कम्प्यूटराईज्ड करने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य के बन्द चीनी मिलों का पुनर्जीवन प्रदान करते हुए लौरिया एवं सुगौली में दो नये 3500 टी0सी0डी0 की चीनी मिल, 60 के0एल0पी0डी0 (kilo litre per day) की डिस्टीलरी एवं 20 मेगावाट की सह-विद्युत इकाई स्थापित कर कार्यरत किया गया।
- कार्यरत चीनी मिलों के साथ सह-विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना की दिशा में कार्रवाई करते हुए मेसर्स हरिनगर चीनी मिल के साथ 50 के0एल0पी0डी0 की डिस्टीलरी एवं 14.5 मेगावाट की सह-विद्युत इकाई स्थापित कर परिचालित किया गया।
- सिधवलिया, हसनपुर, बगहा, नरकटियागंज, लौरिया, सुगौली एवं रीगा चीनी मिलों के साथ सह-विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित की गयी।
- राज्य में कार्यरत नरकटियागंज डिस्टीलरी की क्षमता 30 के0एल0पी0डी0 से 60 के0एल0पी0डी0 एवं रीगा डिस्टलरियों की क्षमता में 45 के0एल0पी0डी0 से 50 के0एल0पी0डी0 की वृद्धि तथा उनके साथ इथेनॉल निर्माण के उपकरणों की स्थापना एवं परिचालन किया गया।